न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/31/2023	2023/474	26.07.2023	30.05.2025

1. कैलाश सिंह पुत्र श्री मकतूल सिंह, जाति राजपूत,
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत,
3. जयसिंह पुत्र श्री पांचू सिंह जाति राजपूत,
   निवासीयान ग्राम डूमोली तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तोफा कंवर पत्नि श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत,
2. रूपसिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह, जाति राजपूत,
3. सोनाबाई पुत्री श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत,
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री बुद्ध सिंह, जाति राजपूत,
5. लाल सिंह पुत्र श्री बुद्ध सिंह, जाति राजपूत,
6. लाडबाई पुत्री श्री बुद्ध सिंह, जाति राजपूत, निवासीयान ग्राम खोह दरीबा तहसील राजगढ़ जिला अलवर (राज०)

—असल रेस्पोडेन्ट्स

7. गणपत सिंह पुत्र श्री सेडू सिंह, जाति राजपूत,
8. मोहन सिंह पुत्र श्री सेडू सिंह जाति राजपूत,
9. अर्जुन सिंह पुत्र श्री सेडू सिंह जाति राजपूत,
10. प्रेम सिंह पुत्र श्री मकतूल सिंह, जाति राजपूत,
11. कुलदीप सिंह पुत्र श्री मकतूल सिंह, जाति राजपूत
12. भवानी सिंह पुत्र श्री मकतूल सिंह, जाति राजपूत
13. शीला कंवर पुत्री श्री मकतूल सिंह, जाति राजपूत
14. ममता कंवर पुत्री श्री मकतूल सिंह, जाति राजपूत
15. पूजा कंवर पुत्री श्री मकतूल सिंह, जाति राजपूत
16. सदाकंवर पत्नि श्री मकतूल सिंह, जाति राजपूत
17. मक्खो कंवर पुत्री सेडू सिंह जाति राजपूत
18. तोफा कंवर पुत्री सेडू सिंह जाति राजपूत
19. केसर कंवर पुत्री सेडू सिंह जाति राजपूत
20. सुप्यार कंवर पुत्री सेडू सिंह जाति राजपूत
21. सुगना कंवर पुत्री सेडू सिंह जाति राजपूत
22. चांद कंवर पुत्री सेडू सिंह जाति राजपूत
23. गुमान सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह,
24. शायर कंवर पुत्री श्री नारायण सिंह
25. भंवरी कंवर पुत्री श्री नारायण सिंह
26. कमला कंवर पुत्री श्री नारायण सिंह
27. सजना कंवर पुत्री श्री नारायण सिंह
28. भैरू सिंह पुत्र श्री पांचू सिंह,
29. रामसिंह पुत्र श्री पांचू सिंह,
30. भंवरसिंह पुत्र श्री हरिसिंह,
31. रतनसिंह पुत्र श्री हरिसिंह,
32. उम्मेद कंवर पुत्री श्री हरिसिंह,

अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राज०)

33.मंगना कंवर पुत्री श्री हरिसिंह,
34.कबूल कंवर पुत्री श्री हरिसिंह,
35.सूरज कंवर पत्नि श्री मानसिंह,
36.प्रधान सिंह पुत्र श्री मानसिंह,
37.भवंरी कंवर पुत्री श्री मानसिंह,
38.रतन कंवर पुत्री श्री मानसिंह,
39.रोशन कंवर पुत्री श्री मानसिंह,
40.मूलसिंह पुत्र श्री झूथा सिंह,
41.प्रेम कंवर पुत्री श्री झूथा सिंह,
सभी जातियान, निवासीयान ग्राम डूमोली तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज०)

–तरतीबी रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 154 निर्णय दिनांक 16.06.2023 ग्राम डूमोली तहसील थानागाजी जिला अलवर।

उपस्थितः–
03–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील रेस्पो0 सं. 4, 5 व 6

–निर्णयः–

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 154 निर्णय 16.06.2023 वाके ग्राम डूमोली से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता एवं अपीलाण्ट अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 134 रकबा 01 ऐयर, 138 रकबा 09 ऐयर, 144 रकबा 30 ऐयर 145 रकबा 10 ऐयर, 146 रकबा 16 ऐयर, 147 रकबा 03 ऐयर, 148 रकबा 21 ऐयर, 150 रकबा 27 ऐयर, 151 रकबा 15 ऐयर, 152 रकबा 03 ऐयर, 154 रकबा 30 ऐयर, 155 रकबा 08 ऐयर, 157 रकबा 08 ऐयर, 160 रकबा 09 ऐयर, 162 रकबा 38 ऐयर, 163 रकबा 10 ऐयर, 165 रकबा 38 ऐयर, 166 रकबा 15 ऐयर, 168 रकबा 42 ऐयर, 169 रकबा 13 ऐयर, 170 रकबा 10 ऐयर, 175 रकबा 25 ऐयर कुल किता 22 रकबा 3.81 है० सालिम एवं आराजी खसरा नं0 133 रकबा 9 ऐयर गै. मु.चाह का 2/3 हिस्सा एवं खसरा नंबर 141 रकबा 05 ऐयर चाही प्रथम का 2/3 हिस्सा ग्राम डूमोली तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज०) में स्थित है जो अपीलान्टान के बुजुर्ग व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 40 व 41 के पिता श्री झूथा पुत्र महताब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डूमोली तहसील थानागाजी जिला अलवर की कब्जे काश्त खातेदारी की थी। झूथा सिंह का स्वर्गवास करीब 48 साल पहले हो गया था, जिसके विधिक वारिसान अपीलान्टान एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टान है जो कि इंतकाल अंतर्गत आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। किन्तु पारिवारिक विवादों के चलते विरासत इंतकाल नहीं खुल सका। असल रेस्पोडेन्टान का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध सरोकार किसी तरह का नहीं है न कभी रहा है और न ही वो मृतक झूथासिंह पुत्र महताब सिंह के कानूनी वारिसान हैं। किन्तु असल ने अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के बाला बाला तत्कालीन पटवारी हल्का से साजबाज होकर फर्जकारी पूर्ण तरीके से स्व० झूथा सिंह की विरासत का इंतकाल संख्या 154 दर्ज करवाकर दिनांक 16–06–2023 को तहसीलदार साहब थानागाजी से अपने नाम स्वीकृत करा लिया जिसकी जानकारी अपीलान्टान को दिनांक 16–07–2023 को हुई जबकि विवादित आराजी पर कुछ अज्ञात बाहरी भूमाफिया लोग आये और उन्होनें जाहिर किया कि वो उक्त आराजी को खरीद रहे हैं तथा उनकी बातचीत चल रही है तथा वो मौका देखने आये हैं इस पर अपीलान्टान ने उक्त लोगों से पूछा कि आपकी बात किन लोगों से चल

30/5/25

रही है, जमीन तो हमारी है तो उन्होनें कहा कि हमारी बात तो रूपसिंह वगैरा से चल रही है। इस पर अपीलान्टान ने तहसील में जाकर जानकारी की तो पता चला कि आराजी मुतनाजा असल रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज हो रही है जिन्होनें अपीलांटान के बुजुर्ग झूथा सिंह की विरासत फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज करवाली। जिस पर इंतकाल की जानकारी करके दि० 19.07.2023 को नकल प्राप्त की तथा इसके बाद वकील साहब से कानूनी सलाह मशवरा किया, जिस पर आज अविलम्ब ही जानकारी की तारीख से अपील हाजा अंदर मियाद प्रस्तुत है। जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

इंतकाल अंतर्गत आराजी मुतनाजा अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान की कब्जे काश्त की आराजी है जो कि उन्हें अपने बुजुर्ग स्वर्गीय श्री झूथा सिंह पुत्र महताब सिंह की विरासत से प्राप्त हुई है। असल रेस्पोडेन्टान स्व० श्री झूथा सिंह के वारिसान नहीं है किन्तु उन्होनें झूथा सिंह की विरासत का इंतकाल फर्जी तरीक पर कागजात तैयार करवाकर अपने नाम दर्ज व मंजूर करा लिया। जबकि अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान स्व० श्री झूथा सिंह के कानूनी वारिसान हैं और इंतकाल अंतर्गत आराजी मुतनाजा पर स्व० श्री झूथा सिंह के जीवनकाल से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और आज भी मौके पर काबिज है। इसलिए आज्ञा जेरे अपील खिलाफ कानून व खिलाफ मौका कब्जा होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलान्टान को तहत न्यायालय में न तो पक्षकार बनाया गया न नोटिस देकर तलब किया गया और न ही सुनवाई का किसी तरह का कोई अवसर दिया गया है। जबकि इंतकाल अंतर्गत आराजी मुतनाजा पर अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान का कब्जा चला आ रहा है इसलिए अपीलांटान आलोच्य आदेश से व्यथित पक्षकार हैं।

तहत न्यायालय तहसीलदार साहब, थानागाजी ने आज्ञा जेरे अपील पारित करने से पूर्व इंतकाल अंतर्गत आराजी पर न तो कब्जे की जांच की और न ही मृतक के वारिसान के बारे में कोई जांच पड़ताल की तथा पटवारी हल्का द्वारा भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं की गई, जो कानूनन अपेक्षित था। यदि जांच की जाती तो अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान का इंतकाल अंतर्गत आराजीयात पर कब्जा पाया जाता और मृतक झूथा सिंह के वारिसान की भी जानकारी हो जाती। किन्तु किसी तरह की कोई जांच पडताल ही नहीं की गई। इसलिए आज्ञा जेरे अपील विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिज है।

असल रेस्पोडेन्टान ग्राम डूमोली तहसील थानागाजी जिला अलवर, जहां कि इंतकाल अंतर्गत आराजी मुतनाजा स्थित है, के निवासी भी नहीं है बल्कि वो ग्राम खोह दरीबा तहसील राजगढ़ जिला अलवर (राज०) के निवासी हैं और आज भी वहीं पर रह रहे हैं तथा ग्राम डूमोली में इनके कोई मकान व जमीन जायदाद भी नहीं है, न कभी असल रेस्पोडेन्टान के बुजुर्गान की ग्राम डूमोली में रहवास रही है तथा असल रेस्पोडेन्टान, मिन अपीलांटान अथवा स्व० झूथा सिंह के परिवार से भी किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। जिससे स्पष्ट है कि फर्जीवाड़ा करके अपीलांटान के बाला बाला कुल कार्यवाही इंतकाल कराते हुए पटवारी हल्का से मिल्लत करके इंतकाल दर्ज व मंजूर कराया है, जो कि विधि विरूद्ध है होने के कारण काबिल खारिज है।

इंतकाल अंतर्गत आराजीयात में अपीलांटान की मक्का व बाजरा की फसल बोई हुई है तथा इससे पूर्व अपीलांटान जौ गेहूँ की फसल बोई थी और काटी थी तथा कुँआ भी है तथा पास की बोरिंग से पानी लेकर आराजी की सिंचाई की जाती है। असल रेस्पोडेन्टान आराजी मुतनाजा से गैरकाबिज व गैरवास्ता शख्स हैं किन्तु वो आज्ञा जेरे अपील की आड़ में विवादित आराजी को हड़पना चाहते हैं और जबरन कब्जा करने की कोशिश मे हैं जिसका कि उन्हें कानूनन कोई हक हांसिल नहीं है।

अतः अपी0 द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर आज्ञा तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर दिनांक 16.06.2023 बाबत विरासत मृतक झूथासिंह पुत्र महताबसिंह इंतकाल संख्या 154 ग्राम डूमोली तहसील थानागाजी जिला अलवर को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के नाम मृतक झूथासिंह की विरासत का इंतकाल विधिवत तरीक पर दर्ज व मंजूर किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

20/7/15

रेस्पो0 सं0 4,5 व 6 की ओर से विद्वान वकील द्वारा अपने समर्थन में कथन किया है कि अपील इंतकाल संख्या 154 दिनांक 16.06.2023 ग्राम डूमोली तहसील थानागाजी जिला अलवर के खिलाफ पेश की गई है। उक्त इंतकाल तोफा कंवर, रूप सिंह, सोनाबाई, लक्ष्मण सिंह, लालसिंह, लाडबाई के नाम तस्दीक हुआ है, जिनके खिलाफ अपीलांट ने यह अपील पेश करके उन्हें रेस्पोडेन्ट के खाने में 1 ला० 6 के तौर पर पक्षकार बनाया है। अपीलांट ने अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के खिलाफ पेश की है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट ने अपील मृतक व्यक्तियों के खिलाफ पेश की है जो विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है व खारिज किए जाने योग्य है। जिसके साथ उक्त तीनों रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ला० 3 का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति भी पेश की गई। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब के लिए अपीलांट द्वारा समय लिया जाता रहा है और अब गत पेशी दिनांक 13.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके पैरा संख्या 3 में यह कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तोफा कंवर, रेस्पोडेन्ट सं0 2 रूपसिंह को मृतक होना स्वीकार किया जावे व रेस्पोडेन्ट सं0 3 सोना बाई को जीवित बताया है। जबकि सही स्थिति यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सोना बाई का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया हुआ है। अपीलांट सोनाबाई को जीवित बताता है तो उसे इस तथ्य को सिद्ध करना चाहिये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का स्वर्गवास होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ला० 6 उसके विधिक वारिसान हैं। लेकिन रेस्पोडेन्ट सं0 3 सोनाबाई की भी मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में अपील मृतक व्यक्तियों के खिलाफ होने के कारण विधि अनुसार अपील खारिज होने योग्य है, खारिज फरमाई जावे। अतः प्रार्थना है कि उक्त तथ्यों के आधार पर अपील मृतक व्यक्तियों के खिलाफ पेश होने के कारण खारिज करमाई जावे। वकील रेस्पो सं0 4 लगा0 5 की ओर से अपने समर्थन में RRD 2001 Page 316 पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं रेस्पो0 की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अपीलाण्ट्स ने उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी का आदेश इंतकाल संख्या 154 दिनांक 16.06.2023 के विरूद्ध पेश की है। जिसमें मृतक झूथसिंह पुत्र महताबसिंह के वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। प्रस्तुत अपील में रेस्पो0 सं0 1, 2 व 3 की मृत्यु हो चुकी है, परन्तु अपील में मृतक रेस्पो0 के नाम अपील पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में उक्त रेस्पो0 के वारिसान के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। विद्वान रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस मुख्य कथन किया गया है कि अपीलाण्ट्स ने न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की है वह मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके अनुसार यह अपील न्यायहित में मेन्टेनेबल नहीं है। इसके समर्थन में उन्होंने कानूनी नजीरें पेश की है, जो कि उक्त अपील पर पूर्णतयाः चस्पा होती है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 154 दिनांक 16.06.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किये जाने से मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी का आदेश इंतकाल संख्या 154 दिनांक 16.06.2023 को यथावत रखा जाता है। अपीलाण्ट मृतक रेस्पे0 के विधिवत वारिसान के विरूद्ध अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)